प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के तहत बनाए गए नियम 8 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी ए जी) को यह जिम्मेदारी सौपी गई थी की वह वित्तीय वर्ष 2014-15 के आरम्भ से अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करे तथा ऐसी समीक्षाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करे।

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम व नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुपालन पर सी ए जी की यह पांचवीं प्रतिवेदन है। यह 1 अप्रैल 2018 में उल्लेखनीय रूप से संशोधित अधिनियम और नियमों के बाद, दूसरी प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन में एफ आर बी एम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की आलोचनात्मक जांच की गई है, मध्यम अवधि के नीति वक्तव्यों और मध्यम अवधि के व्यय ढांचे में किए गए अनुमानों के साथ वास्तविक तुलना की गई है और भिन्नता के कारणों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी मुद्दों पर सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई को विशेष रूप से बताया गया है।

प्रतिवेदन में प्रस्तुत की जा रही टिप्पणियां मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित बजट दस्तावेजों और उस वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों की जांच पर आधारित हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशनों और सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी नियमों की प्रतिवेदनों और प्रकाशनों का भी संदर्भ लिया गया था।

प्रतिवेदन में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लिखित किया गया हैं जो वर्ष 2019-20 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहां कहीं भी उचित है, 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव डालने वाले मामलों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को सी ए जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न किया गया है।